रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 1, 2013/माघ 12, 1934

No. 55] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 1, 2013/MAGHA 12, 1934

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 62(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डाक निरीक्षक के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए, डाक विभाग, डाक निरीक्षक भर्ती नियमावली, 2001 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, राष्ट्रपति एतद्द्वारा डाक विभाग में डाक निरीक्षक के पद की भर्ती पद्धति के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (डाक निरीक्षक) भर्ती नियमावली, 2013 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा इसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करते हुए इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व-सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
डाक निरीक्षक	2187* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित-अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, वेतनमान 9300 -34800 रु. ग्रेड वेतन 4200 रु. सहित	लागू नहीं	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचना के अनुसार	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचना के अनुसार	नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति - सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना किस प्रकार की है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है
(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 33.34 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, और (ii) 66.66 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा	सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा (क) डाक अथवा छंटाई सहायकों के ग्रेड में (ग्रेड वेतन 2400/-रु.),स्टेनोग्राफर ग्रेड II (ग्रेड वेतन 2400/-रु.) और निचला चयन ग्रेड (ग्रेड वेतन 2800/- रु.) में निम्नलिखित में डाक सहायकों अथवा छंटाई सहायकों के रूप में नियमित सेवा, यदि कोई है, सहित उस वर्ष की 01 जनवरी को, जिस वर्ष की रिक्तियां हैं, कम से कम पाँच वर्ष की नियमित सेवा – - डाकघर, रेल डाक सेवा, - डाक अथवा रेल डाक सेवा, डिवीजनल कार्यालय, सर्किल कार्यालय, - विदेश डाक, - रिटर्न लेटर आफिस, - डाक भंडार डिपो, - बचत बैंक नियंत्रण संगठन - सर्किल का आंतरिक जांच संगठन, - कार्यालय निदेशक, डाक जीवन बीमा कोलकाता - डाक मोटर सेवा टिप्पणी I : अभ्यर्थी को, श्रेणी (ग्रेड) का विचार किए बिना, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम चार अवसर दिए जाएंगे। बशर्ते कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को उसकी पात्रता के अध्यधीन उक्त परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम छह अवसर प्रदान किए जाएं: बशर्ते यह भी कि उक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी, यदि वह अपने पाचवे या छठे अवसर पर उक्त परीक्षा में सफल रहता है, तो केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद, यदि कोई है, जैसा भी मामला हो, पर नियुक्त किए जाने का हकदार होगा।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने हेतु): 1. निदेशक, डाक सेवाएं – अध्यक्ष 2. सहायक पोस्टमास्टर जनरल – सदस्य 3. वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

	टिप्पणी 2 : कोई अभ्यर्थी, जो उस वर्ष की 01 जनवरी को जिस वर्ष की रिक्तियां है, पिछले दो वर्ष से सेना डाक सेवा में कार्यरत है अथवा दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए सेना डाक सेवा में कार्य कर चुके हैं,को सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए दो अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाएंगे। टिप्पणी 3 : सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम तथा योग्यता क्रमसूची में सम्मिलित किए जाने के लिए उक्त परीक्षा में अपेक्षित अंकों का न्यूनतम प्रतिशत वह होगा जो विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। टिप्पणी 4 : सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा 40 वर्ष तक होगी। अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए 5 वर्षों तक की छूट होगी। टिप्पणी 5: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन से, 1.1.2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समरूपी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा।		

[फा. सं. 7-14/2009-एसपीबी-II]
राजकुमार, निदेशक (स्टाफ)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2013

G.S.R. 62(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Posts, Inspectors of Posts Recruitment Rules, 2001, regulating the method of recruitment to the post of Inspectors of Posts, except as respects things done or omitted to have been done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Inspector Posts in the Department of Posts, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Posts (Inspector Posts) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post, classification, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.**—The number of said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such mamage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.**—Where the Central Government is of the ,opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons in consultation with the Union Public Service Commission.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and education qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Inspector Posts.	2187* (2012) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non Gazetted, Ministerial.	Pay Band-2, ₹9300-34800 with Grade Pay of ₹4200/-.	Not applicable.	As per notification issued by Staff Selection Commission from time to time for Combined Graduate Level Examination.	As per notification issued by Staff Selection Commission from time to time for Combined Graduate Level Examination.	No.	Two years.	(i) 33.34 per cent. by direct recruitment through Staff Selection Commission, and (ii) 66.66 per cent. by promotion through Limited Departmental Competitive Examination.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion through Limited Departmental Competitive Examination: (a) Not less than five years regular service as on 1st January of the year, to which the vacancies pertain to, in the grades of Postal or Sorting Assistants (Grade Pay of ₹2400), Stenographer Grade II (Grade Pay of ₹2400) and Lower Selection Grade (Grade Pay of ₹2800) including regular service put in as Postal Assistants or Sorting Assistants, if any, in- - Post Offices, Railway Mail Service, - Postal or Railway Mail Service, Divisional Offices, Circle Office, - Foreign Posts, - Return Letter Offices, - Postal Store Depots, - Saving Bank Control Organisation, - Internal Check Organisation of the Circle, - Office of Director, Postal Life Insurance, Kolkata, - Mail Motor Service. **Note 1**: A candidate shall be allowed a maximum of four chances, irrespective of grade to appear in the Limited Departmental Competitive Examination. Provided that a candidate belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe may subject to his eligibility be allowed a maximum of six chances to appear in the said Examination: Provided further that the said Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidate shall, if he is successful at the said Examination in his fifth or sixth chance, be entitled to be appointed only to a post reserved for Schedule Castes or Schedule Tribes, if any, as the case may be.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): 1. Director of Postal Services - Chairman 2. Assistant Postmaster General - Member 3. Senior Superintendent of Post Offices – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Note 2: A candidate who is serving in Army Postal Service for the last two years as on 1st January of the year, to which the vacancies pertain to, or had served in Army Postal Service for a minimum period of two years shall be allowed additional two chances to appear in the Limited Departmental Competitive Examination.		
Note 3: Syllabus for the Limited Departmental Competitive Examination and the minimum percentage of marks required in the said examination for inclusion in the merit list shall be as decided by the Department from time to time. **Note 4**: Age limit for appearing in Limited Departmental Competitive Examination is not exceeding 40 years, relaxation by 5 Years for Scheduled Caste or Scheduled Tribe Officers. **Note 5**: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.		

[F. No. 7-14/2009-SPB-II]

RAJ KUMAR, Director (Staff)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.